EAT PATNA

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No...../2015 Rajesh Kumar Bhagat Petitioner V/S The State of Bihar and otherRespondents Sub.:-Mutation Matter Index SI.No. **Particulars** Page no. 1. An application under article 226 of the Constitution of India. 1-9 2. Annexure-1:AA true photo copy of the Khatian 10 3. Annexure-2: A true photo copy of the Sale deed dt. 25.08.06 11-14 4. Annexure-3: A true photo copy of the order dt. 31.01.2008 15 5. Annexure-4: A true photo copy of the Anchaladhikari's order dt. 30.06.08 16-18 6. Annexure-5 A true photo copy of the order dt. 28.11.2014 / letter dt.01. 12.2014 19-21 7. Annexure-6 A true photo copy of the Parcha issued in the name of the respondent no. 6 of the year 1971-72 22

8.. VAKALATNAMA.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (CIVIL WRIT JURISDICTION) C. W. I.C. No. /2015

C.VV.J.C INC	/2013
Rajesh Kumar Bhagat	Petitioner
V/S	
The State of Bihar and other	Respondents
Synopsis	•

Prayer

For quashing the order dt.17.10.2014/28.11.2014 passed by Collector, Madhepura in Basgit Parcha Revision Case No. 38/2006, same has been communicated vide DB No. 538 dt. 01.12.2014 under signature of Incharge Officer, Legal, Madhepura, by which Learned Collector has been pleased to dismiss the case, on the ground, the alleged Basgit Parcha has been issued by the Basgit Parcha case No. 3/1971-72, same has not been challenged by the Ex-landlord, after purchasing by the petitioner in the year 2006, the case has been filed by the petitioner for cancellation of alleged parcha, same is alleged to issue in the year 1972, whenever neither petitioner nor his Vendor have any knowledge about the alleged Parcha which is said to be issued in the year 1972, one of the ground, the respondent Parcha holder is not in posses -sion of the alleged land rather petitioner is in possession of the land prior to alleged purcha and after purchasing of the land and he is still in possession of the alleged land and respondent no. 6 has no case as, he got Parcha with consent or notice to the his Ex-landlord rather his case is got Parcha from the consent of the landholder Baidyanath Bhagat whereas alleged land is not con--cemed to the Baidyanath Bahgat and further quashing alleged purcha of re spondent no.6 and further issued direction to respondent to not interfere the title and possession of the alleged dispute land, which has been purchased by the Ex-landlord, who was Khatiani raiyat of the alleged land and further issued direction to respondents consider the case of the petitioner as he is entitled for other consequential benefits to the petitioner.

Khata No. 562, Khesra No. 1869, Area .04 Acre is Khatiani land of Pucho Jha, son of Chulhai Jha one share, Shyam Sundar Jha, S/o Uchit Lal Jha, one share Jageshwar Jha, S/o Mathura Jha, one share Saryug Jha, S/o Nokhelal Jha.

- 1971-72 Basgit Case No. 1971-72, after got the certified copy of the Parcha, he found alleged to be issued the parcha in the name of 40 45 persons but does not bear the khata, khesra and area of the land.
- 25.08.06 Heir of the Late Pucho Jha agreed to sell the land bearing Khata No. 417(Old), Khata No. 562(New), Khesra No. 1110 and 1113(Old), Khesra No. 1869(New) Area 4 decimals and have been executed by the sale deed dt. 25.08.2006 in the name of the petitioner Shri Rajesh Bhagat after taking all consideration money of the alleged land.
- 31.01.2008 Petitioner filed an application before respondents for measurement of the land which land purchased by the petitioner from the heir of the Ex-landlord Jawahar

Jha by deed of the registry dt. 25.08.2006, application of the petitioner was recorded as case no. 20 / 07-08 and by his order dt. 31.01.2008 directed to Anchal Amin to measure the land Khata No. 562, Khesra No. 1869.

- 30.06.08 Submitting report by Anchal Amin as stated that alleged land has been measu red and found that the dispute land is in possession of the petitioner whereas respondent no.6 Yogendra Mandal did not produce any paper fordue satisi faction of the authority and also stated that the Basgit Parcha of respondent no. 6 is very objectionable as no signature of the officer and whereas Khatiani raiyat is Raiyati Jha, in the place of his name shown Bhagat.
- 28.11.2014 Petitioner come to know about the alleged Parcha, then petitioner filed an appli cation before Collector Madhepura bearing Basgit Parcha Revision 38 / 06 of the dispute land bearing Mauza Puraini, Khata No. 417(old), 562(new), Khesra No. 1110(old), 1113, New Khesra No. 1869, Area 4 decimals, notice was is sued to the parties and matter was heard between them and failed to consider the case of the petitioner and passed the order by Collector dt. 17.10.2014 / 28.11.2014 by which rejected the Revision of the petitioner, on the ground the present revision has been filed after lapse of the so many years and he did not found any error in the Basgit Parcha and passed the order dt. 28.11.2014 by which rejected the revision application of the petitioner, same has been communicated to the petitioner vide D.B. No. 538 dt. 01.12.2014.
- Collector failed to consider the case of the petitioner as he stated that the dispute land is Basdih of the land, the landlord was Late Puchho Jha by his consent petitioner used the land, being cultivating the dispute land, land was in possession of the petitioner since ago and further stated that petitioner is be longed to category of the landless and having big family after partition among his shareholders, he needs of the land and wasused by petitioner since ago, same has been purchased by the saled deed dt. 28.08.06 from the Ex-land lord, soon after purchasing of the land respondent no. 5 a false FIR against the petitioner by alleging that the dispute land is belong to the respondent no. 6 by virtue of the Parcha and have suppressed then he filed a Chirkut for the certified copy of the papers related to the Basgit Case No. 1971-72, after got the certified copy of the Parcha, he found alleged to be issued the parcha in the name of 40 45 persons but does not bear the khata, khesra and area of the land.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.

of 2015

In the matter of an application under

Article 226 of the Constitution of India;

A N E
In the matter of

Rajesh Kumar Bhagat, S/o Shri Janardar	Bhagat, R/o village Puraini (Devidas Tola,) P.S. &
Anchal - Puraini, District Madhepura.	Petitioner Versus
l. The State of Bihar through the Principla	Secretary, Rural Development Department, Govt.
of Bihar, Patna.	
2. The Collector, Madhepura, District Mad	ihepura
3. TheLand Reform Deputy Collector, Ud	akishunganj, District Madhepura
l. The Sub Divisional Officer, Udakishung	ganj, District Madhepura.

- 5. The Anchaladhikari, Puraini, District Madhepura.
- 6. Shri Yogendra Mandal, S/o Late Baso Mandal, R/o village Puraini (Devidas Tola,) P.S. & Anchal Puraini, District Madhepura. Respondents
- To,
 The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of
 Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

- 1. That this writ application is being filed issuance of writ in the nature of certiorari, for quashing the order dt.17.10.2014/28.11.2014 passed by Collector, Madhepura in Basgit Parcha Revision Case No. 38/ 2006, same has been communicated vide DB No. 538 dt. 01.12.2014 under signature of Incharge Officer, Legal, Madhepura, by which Learned Col -lector has been pleased to dismiss the case, on the ground, the alleged Basgit Parcha has been issued by the Basgit Parcha case No. 3/1971-72, same has not been challenged by the Ex-landlord, after purchasing by the petitioner in the year 2006, the case has been filed by the petitioner for cancellation of alleged parcha, same is alleged to issue in the year 1972, whenever neither petitioner nor his Vendor have any knowledge about the alleged Parcha which is said to be issued in the year 1972, one of the ground, the respondent Parcha holder is not in possession of the alleged land rather petitioner is in possession of the land prior to alleged purcha and after purchasing of the land and he is still in possession of the alleged land and respondent no. 6 has no case as, he got Parcha with consent or notice to the his Exlandlord rather his case is got Parcha from the consent of the landholder Baidyanath Bhagat whereas alleged land is not concerned to the Baidyanath Bahgat and further quashing all leged purcha of respondent no.6 and further issued direction to respondent to not interfere the title and possession of the alleged dispute land, which has been purchased by the Exlandlord, who was Khatiani raiyat of the alleged land and further issued direction to respon dents consider the case of the petitioner as he is entitled for other consequential benefits to the petitioner.
- That main point involved in this writ application are as follows:-

- Whether order impugned dt. 17.10.2014 / 28.11.2014 and its bearing memo no. DB
 No. 538 dt. 01.12.2014 is illegal and fit to be set aside or not?
- ii) Whether respondent no. 6 got Parcha of the alleged land after following due procedure of B.P.P.H.T. Act or not?
- Whether respondent authorities respondent no. 6 got purcha after following the due procedure and norms for issuing Parcha or not?
 but in this case without following due procedure norms of the Act allleged to be issued
 Parcha, said alleged land, is not in possession of the respondent no. 6 or not?
- iv) Whether petitioner having title and possession on the basis of deed of registry which was executed bearing register deed 5329 dt. 25.08.06 bearing Khata No. 417(Old), Khata No. 562(New), Khesra No. 1110 and 1113(Old), Khesra No. 1869(New) Area 4 decimals or not?
- Whether respondent no. 6 got Parcha in the year 1972 of the alleged land then he has to pay the amount as per the Act in the year 1972 and have revenue receipt since 1972 to the respondent no. 6 but he did not disclose about the deposit amount at the time of issuance of the Parcha nor money receipt which was paid to the State govern ment rather showing the receipt 2011-12, it is seemed that the alleged Parcha is found to be illegal and concocted docuements or not?
- Whether the Khata No. 417(old), Khesra No. 1113 is area of the 4 decimals land or not?
- Whether the old Khata No. 417, Khesra No. 1113, area is less than 4 decimals land, thus the alleged Parcha is seemed to be doubtful or not?
- vili) Whether on the basis of the Khatian, Khata no. 562, Khesra No. 1869, Area 4 deci mals land is khatiani land, thus no question arise the alleged land is Khatiani land of

the Baidyanath Bhagat and his ancestors or not?

Whether learned Collector failed to consider the case of the petitioner and he has been decided the case of the petitioner, on the basis of the order of this Hon'ble Court passed in Bachcha Sah Vs. Manohar Thakurs & others reported in PLJR 2006(4)

Page No. 102, that case is not applicable in the case of petitioner on the ground, said very case is related to the Khatiani land holders, after sell the land, Purchaser filed Title Suit, in present case, case of the petitioner is that he purchased the land, Khatiani landholder of the ancestors of Shri Jawahar Jha, he has not notice or no any informa tion about issuance of the Parcha, same has been come to knowledge to the petitioner when filed application for mutation of the land soon after purchasing the land in the year 2006, whereas respondent no. 6 case is that the Khatiani landholder is Baidyanath Bhagat from whom he got the Parcha of the land thus, the aforesaid case is not applicable in the case of the petitioner or not?

Whether Learned Court below have to consider about the fact that prior to issuance of alleged Parcha the procedure have been followed of the B.P.P.H.T. Act or not?

wi) Whether Learned Collector have to decide the matter on the basis of the possession of the alleged land, which is not still in the possession reason behind he has no title and possession and not paid any rent to the government for the parcha or revenue till 2006. It seems that alleged Parcha is illegal and fit to be set aside or not?

Whether Learned Collector have to be considered on the basis of the record and have to considered and decided the matter on the basis of Parcha in the name of the re-spondent no. 6 on said very Parcha have not contained the Khata, Khesra of the land, it is made clear that the alleged land has not been given to the respondent by issuance

xi/)

of a Parcha or not?

- 3. That petitioner is citizen of India and he is entitled for right guarantee under the Constitution of India.
- 4. That bearing Khata No. 562, Khesra No. 1869, Area .04 Acre is Khatiani land of Pucho Jha, son of Chulhai Jha one share, Shyam Sundar Jha, S/o Uchit Lal Jha, one share Jageshwar Jha, S/o Mathura Jha, one share Saryug Jha, S/o Nokhelal Jha.

A true photo copy of the Khatian is annexed as Annexure - 1 of this application.

5. That it is needful to stated here that the alleged land under boundary of petitioner, said very land is Basdih land, he is in possession of the land by cultivating since ago, on before 1971, the heir of the Late Pucho Jha agreed to sell the land bearing Khata No. 417(Old), Khata No. 562(New), Khesra No. 1110 and 1113(Old), Khesra No. 1869(New) Area 4 decimals and have been executed by the sale deed dt. 25.08.2006 in the name of the petitioner Shri Rajesh Bhagat after taking all consideration money of the alleged land.

A true photo copy of the Sale deed dt. 25.08.06 is an nexed as Annexure - 2 of this application.

6. That petitioner filed an application before respondents for measurement of the land which land purchased by the petitioner from the heir of the Ex-landlord Jawahar Jha by deed of the registry dt. 25.08.2006, application of the petitioner was recorded as case no. 20 / 07-08 and by his order dt. 31.01.2008 directed to Anchal Amin to measure the land Khata No. 562, Khesra No. 1869.

A true photo copy of the order dt. 31.01.2008 is annexed as Annexure - 3 of this application.

7. That soon after submitting report by Anchal Amin as stated that alleged land has been

measured and found that the dispute land is in possession of the petitioner whereas respon-dent no.6 Yogendra Mandal did not produce any paper for due satisifaction of the authority and also stated that the Basgit Parcha of respondent no. 6 is very objectionable as no signa ture of the officer and whereas Khatiani raiyat is Raiyati Jha, in the place of his name shown Bhagat.

A true photo copy of the Anchaladhikari's order dt. 30.06.08 is annexed as Annexure - 04 to this application.

8. That petitioner come to know about the alleged Parcha, then petitioner filed an application before Collector Madhepura bearing Basgit Parcha Revision 38 / 06 of the dispute
land bearing Mauza Puraini, Khata No. 417(old), 562(new), Khesra No. 1110(old), 1113,
New Khesra No. 1869, Area 4 decimals, notice was issued to the parties and matter was
heard between them and failed to consider the case of the petitioner and passed the order by
Collector dt. 17.10.2014 / 28.11.2014 by which rejected the Revision of the petitioner, on the
ground the present revision has been filed after lapse of the so many years and he did not
found any error in the Basgit Parcha and passed the order dt. 28.11.2014 by which rejected
the revision application of the petitioner, same has been communicated to the petitioner vide
D.B. No. 538 dt. 01.12.2014.

A true photo copy of the order dt. 28.11.2014 / letter dt.01.

12.2014 is annexed as Annexure - 5 of this application.

9. That learned Collector failed to consider the case of the petitioner as he stated that the dispute land is Basdih of the land, the landlord was Late Puchho Jha by his consent petitioner used the land, being cultivating the dispute land, land was in possession of the petitioner since ago and further stated that petitioner is belonged to category of the landless and having big family after partition among his shareholders, he needs of the land and was

used by petitioner since ago, same has been purchased by the saled deed dt. 28.08.06 from the Ex-landlord, soon after purchasing of the land respondent no. 5 a false FIR against the petitioner by alleging that the dispute land is belong to the respondent no. 6 by virtue of the Parcha and have suppressed then he filed a Chirkut for the certified copy of the papers related to the Basgit Case No. 1971-72, after got the certified copy of the Parcha, he found alleged to be issued the parcha in the name of 40 - 45 persons but does not bear the khata, khesra and area of the land.

A true photo copy of the Parcha issued in the name of the respondent no. 6 of the year 1971-72 is annexed as An -nexure - 6 of this application.

- 10. That further alleged in the revision case that petitioner having possession of the dispute land as raiyati with consent of the Ex-landlord and using as Bari Jhari reason behind he was residing in boundary of the dispute land since ago more than 50 years, if any alleged parcha had issued in the name of the respondent no.6 then respondent authority have to follow the the procedure BPPHT Act but prior to parch nor Khata Khesra area mentioned nor name of the ex-landlord mentioned, by the alleged Parcha does not specified the land of the petitioner or his ex-landlord nor respondent no.6 having 'Malgujari Rasid', neither petitioner nor his ex-landlord have knowledge about alleged purcha, nor notice or any information for issuance of Basgit parcha till 2006 thus in this circumstances cause of action arose since 2006 the limitation does not applicable in the case of the petitioner any view of the matter.
- 11. That further cost of repetition repeated here that the alleged Parcha is found to be false and illegal in the eye of law.
- 12. That the petitioner's having legal title and possession of the alleged land by the deed of the kewala, if any respondent no.6 have a case then he should have filed a case before the

Competent Court regarding validity of the Basgit Parcha of the land.

- 13. That respondents have no jurisdiction to pased impuged order, which is illegal, arbitrary, and miscarriage of justice
- 14. That on the above facts and circumstances of the case petitioner deserve relief by this Hon'ble Court.
- 15. That petitioner has no efficacious and alternative remedy save and except to file this writ application.
- 16. That petitioner has not moved any time earlier before this Hon'ble Court for the relief sought for in para-1 of this writ application.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to issue notice to show cause as to why the relief sought for in para-1 of the writ application be not granted to the petitioner and upon cause being shown if any and after hearing the parties pass such other order/orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And/Or


During the pendency of this application may kindly stay the order dt. 17.10.2014/28.11.2014.


And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I,Rajesh Kumar Bhagat, aged about 55 years S/o Shri Janardan Bhagat, R/o village
Puraini (Devidas Tola,) P.S. & Anchal - Puraini, District Madhepura, do hereby solemnly
affirm and state as follows:-

- 1. That I am petitioner in this case and as such am well acquaintd with the facts and circumstances of the case.
- 2. That I have gone through the contents of this writ application and have fully under stood the same. The statements made in paragraphs no.3, 10 and 11 to 12 are true to my knowledge and those made in paragraphs no.4 to 9 are based on information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.
- 3. That the annexures are true/photo copies of the originals.







*

5365 रनाग्या 500 FIVE HUNDRED पांच सो रुपये RS.500 SESSINDIA NON SUDICIALESS रित्र वेश कार्य निर्म हों योत्र शे निर्मा केत हुने न हार BIHAR देश हों हों हों न्याना हुईनी मिरिश किस्सा (१४४) का हैटा क्ये नेत्र नेत्र अवर निबंधन कार्यीलम् उदाकिश्नगंज को शो/शीमती Sri Jawanar Jha ्रिका निर्माणिक निर्माणिक निर्माणिक सम्बद्धाः स्था । विकास स्थापिक निर्माणिक सम्बद्धाः स्थापिक स्थापि जन्य शुरुकः का भुगतान क्रिया गया । दस्तावेज ग्राह्म भाया प्रया जिम लेखकारियो ने सेर समक्ष इसका ब्रिप्पादन स्थीकार किया अनुके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटी, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीठे अकित है। इस भरतावेज सं० 5329 ने हुए में प्रस्तृ संव Date: 26/08/2006 (S. Z. HASAN) निबंधन पदाधिकारी क्रिक्री के क्षेत्र का उन्तर साडिकार मिन्मीक Situl- Hotel than the Spirit अध्येष

12/1-436





दिनांक - 22.08.06 राजेश भगत

चू मनमोकीर ने बाबूरी तमामी अकील होश व हवाश अपने विला जवर एवं दवाब किसी दिगर के वास्ते अंजाम लाजमी चन्द जरूरी इखराजात के एराजी खाता (5) वाला जमीन व किमत अदक मोबलग — 11000/— ग्यारह हजार रूपैया में मोकीर अलह खाना (2) के हाथ बेचा। व कुल रूपैया वसुक वेमाक मनमोकीर पागए, मनमोकीर अलह को चाहिद की अपना नाम व जमीन्दारी बिहार सरकार में दर्ज कराकर सनहाल से माल गुजारी अदाय किया करे। वो खाना (5) पर अपना मकानात गवैह बनाकर जिस कदर चाहे अपने शिलशिले वंश भाग तसरूफ किया कर इसमें मनमोकीर को कोई वाजा विवाद नैहन होगा। सैय केवाला हर नवे से पाक व साफ हैं। भविष्य में अगर किसी कारणवश मोकीर अलग एराजी मजकुर से बेंदखल होवें तो मनमोकीर वारसान मन मोकीर पायबन्द व जवाबदेह है। उसी प्रकार कुल जरसमन केवाला हाजा अलावे हरजासाथ कानूनी शुद के तमामी जायदाद से हैं। इसलिए यह केवाला वेयला कलामी मोकीर अलह रवाना (2) को लिख दिया जो समय पर काम व प्रमाण रहे।

उपयुक्त जमीन सिलिंग भुदान गैर मजरूआ आम खाज के सटे हिन्द से मुक्त रहें।

> सही जवाहर झा 25.08.06 नि० अंगूलियों का



Token no. 936

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21: duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23a **Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs					2020 0					
	Fee Paid		, .			•				
	A1	640	i	0	K2	0	Na	36		
	A8	0	J1	0	Li	0	LLŔ	50		
	A 9	. O	K1a	û	Lii	0	Proc.	25		
	A10	0	K1b	0	Liii	0	_	_	Tot Reg Fec	751
	E	0	K1c	0	Mb	0	Scan	0		
									ONLY	
	Date:						¥	Regist	ering Officer	

Endorsement under section 52

Presented for registration at 02:56 PM on the day Saturday, 26thAugust

Udakishun D. R. O/ Sub-Registry Office by Sri Jawahar Jha

(Self) son/wife of Late Vishundev Jha by profession

Agr:culture.

26/8/06

Signature of Presentant

Registering Officer

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photgraphs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument.

Date:

Registering Officer

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO **UdakIshungan**having5 pages, in the volume **CD-2** and document no. of which is printed on the First page of the document.

Date:

Registering Officer

SCORE Ver -1.0

在1987年,在1987年,1987年,在1988年,在1988年,1987年,1987年,1987年



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख

Date of application for the copy.

तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and follos,

स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित

संस्था सूचित करने की निश्चित

अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख

Date of delivery of the requisite stamps and follos.

तारील, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी

Date on which the copy was ready for delivery.

आवेदक को प्रतिलिप देने की तारीख

Date of making over the copy to the applicant.

30107112

30107 00

01 08108

18 08

अंचल कार्यालय पुरेन

D अभिनेरव का प्रकार: - ना

अविद्य का भाम !- यहनेश कुआर भगत

अभिलेखन संवरनेवर्धः

आवेदक राजेश कुमार भगत भवता जनादन 31/01/08 क्षानित्त रिया है कि ब्रेरीजन पैमार्थ करना चारता है। जभीन का विवरण निवन प्रकार है अतर्व अवल अमीत के विया जाता है के निक्नी कत रवाता रवेसरा की जमीन मापी करने का आदेश

भीजा क्वाता क्वेस्या TR69/ 1869

दर्शालील लिका दाना है कि है जाती

1 Dompton 3 (15)

अंचल कार्यालय, पुरैनी

- 1) अभिलेख का प्रकार नापी
- 2) आवेदक का नाम राजेश कुमार भगत
- 3) अभिलेख सं० एवं वर्ष 20/07-08

31.01.08

आवेदक राजेश कुमार भगत, पिता जनार्दन भगत, सा० पुरैनी ने आवेदन दिया है कि मेरी जमीन केवाला द्वारा प्राप्त है। इन्होनें अपनी जमीन का पैमाईस करना चाहता है। जमीन का विवरण निम्न प्रकार है, अतएव अंचल अमीन को निदेश दिया जाता है कि निम्नांकित खाता, खेसरा, रकवा की जमीन नापी करने का आदेश निर्गत करें।

मौजा		खाता		खेसरा		रकवा
पुरैनी 146	562		1869		0.45	डी०

ह० / अस्पष्ट 31.01.08 अंचल अधिकारी, पुरैनी।



30/08/08

stamps and follos.

30/07/08

folios.

01080

अभिलेख उपस्थापित। अधल अभीन का नापी प्रिवेदन यापा। अधल अभीन न प्रिवेदित किया है कि मीजा हैरेनी वाना ने 146 के अलीगत आवेदक हारा आविषित स्वाता 562 देवसरा 1869 रक्षां ०-०५ एक जातीन की स्थलीय पैमाईस किया तथा वर्गमान में निक्न हिथीत पाया क्या। उसा जभीत आवदक का केवाला हारा पार्स है तथा कितीय प्रामी श्रीकेट्य मंदल पेण स्वण कासा में अप साण प्रदेशी ने सेती म जार्क कागजी सब्त नहीं विस्तामा। नापी स्थलीय हिथाने पाया ग्रांपा के आवेदक का वर्गान पर सड़्द्र कियार या विवादी रवेसरा से परियम 2 डीसमल में तथा विवादी रवेसरा से पुरव देवसरा का 1870 में सवा दो उसमन में दे तथा विवादी स्वेसरा 1869 के 2710 वर्गकी या पोने दी डीसमा में अंगिन मनेशी वधान कुँरा एवं भाद है।



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख

Date of application for the copy.

30107108

स्टाम्प और फोलिओ की अपे<mark>धित</mark> संस्था स्**चित करने की निश्चित** तारीख

Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.

30/07/08

अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख

Date of delivery of the requisite stamps and folios.

तारिख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी

Date on which the copy was ready for delivery.

आवेदक को प्रतिलिधि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant

01/08/08

01/18/08







प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख

Date of application for the copy.

स्टाम्प और फोलिओ की अपेब्रित संस्था सूचित करने की निज्ञित तारीख

Date fixed for notifying the requisite number of stamps and follos. अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की क्षारीख

Date of delivery of the requisite stamps and follos.

तारील, जबकि देने के लिए प्रतिलिए तैयार थी

Date on which the copy was ready for delivery.

आवेदक का प्रतिक्रिक्टिक क

Date of making over the copy to the applicant

30/07/18

30/08/08

01108/06

01/18/18

आवेद्ध की केवाला स्वीठ्यांनी प्रेयत से किलान कर संमुद्ध हीना अपिशत है तथा द्वितीय पत्र श्रीक्रिक्प मेंडल का वासमीत पर्वा आपिश भावक प्रतित होता है। पद्मा पर पद्मिकारी का स्टिमाफ्रा नहीं है साथ ही भूधारी स्वीत्रयांनी प्रेयत का के बदले अगत है।

> अरेव अरेव अरेव अरेव

नकल किया द्वित्व निकल कता अवल आध्यकारी

तुलित 200 तुलनाकार J. (16,13)

30.06.08 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अमीन का नापी प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुरैनी, थाना नं० 146 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आवेदित खाता 562, खेसरा 1869 रकवा 0.04 एकड़ जमीन को स्थलीय पैमाईस किया तथा वर्तमान में निम्न स्थिति पाया गया। उक्त जमीन आवेदक को केवाला द्वारा प्राप्त है तथा द्वितीय पक्ष श्री योगेन्द्र मंडल, पे० स्व० वासो मंडल, सा० पुरैनी ने संतोषजन कागजी सश्त नहीं दिखाया। नापी अनुसार स्थलीय स्थिति पाया गया कि आवेदक का वर्त्तमान घर सड़क किनारे या विवादी खेसरा से पश्चिम 2 डीसमल में तथा विवादी खेसरा से पूरब खेसरा नं० 1870 में सवा दो डिसमल में है तथा विवादी खेसरा 1869 के 1710 वर्गकड़ी या पौने दो डीसमल में आँगन मवेशी बथान खूँटा एवं नाद है। विवादी खेसरा 1869 में द्वितीय पक्ष श्री योगेन्द्र मंडल पिता स्व० वासो मंडल का 2,252 वर्गकड़ी या सवा दो डिसमल में फूस घर है। प्रतिवेदन के दूसरे पृष्ठ पर नजरी नक्सा का अवलोकन किया जाय। आवेदक का दखल उत्तर 30 कड़ी दक्षिण 46 कड़ी पूरब — 45 कड़ी एवं पश्चिम 45 कड़ी अर्थात 30X46 X 45

2 = 1710 वर्गकड़ी आंगन एवं मवेशी बथान के रूप में दखल कब्जा है। (2) द्वितीय पक्ष का दखल उत्तर — 46 कड़ी, दक्षिण — 60 कड़ी, पूरब — 45 कड़ी एवं पश्चिम — 40 कड़ी अर्थात =

 $46+60 \times 45+40 = 2252$ वर्गकड़ी या सवा दो डिसमल में मकान मय सहन के रूप में

2 दखल कब्जा है। आवेदक को केवाला खितयानी रैयत से मिलान कर संतुष्ट होना आपेक्षित है तथा द्वितीय पक्ष श्री योगेन्द्र मंडल का वासगीत पर्चा आपितजनक प्रतीत होता है। पर्चा पर पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है साथ ही भूधारी खितयानी रैयत झा के बदले भगत है।

लेखापित ह०/ अं० अं० ह०/ अंचल अधिकारी पुरैनी

नकल किया। ह०/अस्पष्ट दि० 01.08.08 नकल कर्त्ता न्यायालय, समारुत्ति एवं जिला दंडाियकारी, मथेपुरा। बासगीत पर्चा रिभीजन वाद सं0-38/2006 राजेश कुमार भगत बनाम योगेन्द्र मंडल -: आदेश :-

28 11 2414

श्री राजेश कुमार भगत पे0 जनार्दन भगत सा० पुरेनी (देवीदास दोला) थाना+अंचल पुरेनी, जिला मधेपुरा ने बी.पी.पी.एच.टी.एक्ट-1947 की धारा-2! के तहत् रिभीजन याद दाखिल किया गया है। अपने याविका में विवादित जमीन का ब्योरा निम्न प्रकार अंकित किया है:-

मीजा	थाना नं0	खाता पु0	ख्याता नया	खेसरा पु०	्रोसरा नया	रकवा
पुरैनी	-	417	562	1110	1869	04 डी0
				1113		

वादी के विक्क अधिवक्ता को सुनकर दिनांक 29.03.2007 को वाब अंगीकृत करते हुए डी०बी०नं० 654 दिनांक 15.06.2007 के द्वारा विपक्षी को मोटिस तथा 655 ंनांक 15.06.2007 के द्वारा विपक्षी को मोटिस तथा 655 ंनांक 15.06.2007 के द्वारा बासगीत पर्या वाद सं0-03/1971-72 से संबंधित अभिलेख एवं स्थलीय जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, पुरैनी से किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। अभिलेख एवं स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 03.03.2008 को सुनवाई उपरान्त अंचल अधिकारी, पुरैनी को स्वयं अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में उपस्थित रहने का निदेश जारी किया गया। दिनांक 16.08.2010 को उभय पक्षों की दलील सुनने के पश्चात् विखित अभिकथन दाखिल करने का निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, पुरैनी ने अपने पन्नांक 549-2 दिनांक 16.08.2010 के द्वारा अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण निर्गत बासगीत पर्चा पंजी की ख्याप्रति सत्यापित कर समर्पित किया गया। दिनांक 14.05.2011, 13.06.2011 एवं 20.06.2011 को वादी स्वयं अनुपस्थित रहे, फलस्वरूप अनुपस्थित के कारण वाद स्थित कर दिया गया। पुनः वादी के विक्न अधिवक्ता द्वारा स्थित वाद चालू करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिस पर दिनांक 25.07.2011 को सुनकर वाद पुनर्जीवित करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत किया। उभय पक्षों के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल कर दिया गया। है। दिनांक 17.10.2014 को दोनों पक्षों के बहस को विस्तार से सुनकर अभिलेख आदेश पर रखा गया।

दादी के विहा अधिवक्ता का कहना है कि वादगत भूमि के साथ अन्य भूमि पर वादी के पूर्वज पूर्व भूरवामी फुद्यों झा की अनमति से उसके जमीन पर रहते आ रहे हैं । वं कभी भी एक क्षण के लिए बेदखल नहीं किए हैं। परिवार बड़ा होने के कारण वादगत भूमि सहित अन्य भूमि पर सभी भाईयों में बटवारा कर आवासीय मकान एवं बाड़ी झाड़ी कायम कर रह रहे हैं। हाल सर्वे खतियान में भूस्वामी का नाम फुरो झा एवं अन्य है तथा उक्त भूरवाभी के वारिस जवाहर झा से विधिवत निबंधित दस्तावेज सं0-5329 दिनांक 25.08.2006 के द्वारा खाता पुराना-417 खाता नया-562 खेसरा पुराना 1110, 1113 खेसरा नया-1869 रकवा-04 डी० वासोवास की भूमि खरीद की गई है। दाखिल-खारीज कराने के धैरान वादगत भूमि का मालगुजारी योगेन्द्र मंडल के नाम से निर्गत होने की बात प्रकाश में आयी। **तत्पश्चात् बासगती पर्चा अभिलेख** का नकल के लिए आवेदन किया गया। परन्तु अभिलेख का नकल अंचल कार्यालय से उपलब्ध नहीं हो सका। उसके बंदले में वर्ष 1971-72 में जारी किए गए बासगीत पर्चा, जिसमें 40-45 व्यक्तियों का पर्चा स्वीकृत किया गया है, का नकल प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर यह रिभीजन आवेदन दाखिल किया गया है। इनका आगे कहना है कि खेसरा पुराना-१११३ का रकवा-04 ही0 नहीं है। बल्कि खेसरा पुराना 1110, 1113 का कुल रकवा-04 ही0 है। स्पष्ट है कि निर्गत वासगीत पर्धा राजस्व अक्षिलेख पर आधारित नहीं है। भूस्यामी को कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया है एवं प्रतिपक्षी जाल-फरैवी कर अपने जान से पर्चा निर्णत करवा लिये हैं। पर्चाधारी को अपना आवासीय घर है और वादगत भूमि प्रतिपक्षी के आवारीय घर से पूर्व है एवं अलग अस्तित्व में है। अपना आवासीय घर रहने कें कारण प्रतिपक्षी को बासर्गात पर्चा निर्गत करने का कोई आधार या **औचित्य नहीं है। वादगत भूमि के चारो तरफ वादी की जमीन है। उक्त भूमि की कोई जॉंच किसी** पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई, बिना जाँच पड़ताल किए ही बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जिसमें बी.पी.पी.एच.टी.एक्ट की थारा-5 की उपथारा । से 5 तक का अनुपालन नहीं किया गया है। इस तरह



निर्गत बासगीत पर्चा छद्म. जाल-फरैबी तरीके से निर्गत किया गया है जिसे रद्द किया जाय। वादी अपने दिए गए बयान के समर्थन में निम्नांकित कागजात साक्ष्य हेतु समर्थित किया है :-

- (1) इनफोरमेशन स्लीप सं0-11 दिनांक 11.10.2006 की छायाप्रति
- (2) 92-163/1971-72 बासगीत पर्चा रिजस्टर के सत्यापित प्रति भी छाथाप्रति।
- (3) पुरैनी याना कांड सं०-53/06 योगेन्द्र मंडल बनाम राजेश भगत में पारित आदेश की प्रति।
- (4) हाल सर्वे खतियान की छादाप्रति।
- (5) नापी वाद सं0-20/07-08 प्रतिवेदन की छायाप्रति।
- (6) इन्फोरमेशन स्लीप अंचल कार्यालय से निर्गत योगेन्द्र मंडल को धारित जमीन की सूचना की छायाप्रति।
 - (7) निर्गत बासगीत पर्चा फारम-जी की छायाप्रति।
 - (8) दस्तावेज सं०-5329 दिनांक 25.08.2006 की छायाप्रति।
 - (9) दाखिल लिखित अभिकथन।

इसके प्रत्योत्तर में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादी के द्वारा बी.पी.पी.एच.टी.एक्ट 1947 की घारा-21 के अन्तर्गत लाया राया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं कर रहे है कि निर्गत बासगीत पर्चा में क्या खानियां है। वैकि उक्त बासगीत पर्चा वर्ष 1972 में निर्गत किया गया एवं रिभीजन बाद वर्ष 2006 अर्थात् 33 वर्षो के बाद लाया गरा। है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा विवादित भूमि निबंधित दस्तावेज सं०-5329 दिनांक 25.08.2006 को जवाहर झा से क्य किया है, जो फ्वो क्या के वारिसान हैं। जबकि वासगीत पर्चा जिस जमीन का निर्गत किया गया है, उसका मूल भूरवामी बैजनाथ भगत है। तत्काल यह भी मान लिया जाय कि हाल सर्वे खतियान के अनुसार भूरवामी फ्वों झा हैं, तो उक्त बासगीत पर्चा को रदद कराने हेतु फुवो झा को आपत्ति करना चाहिए या, न कि खरीददार(वादी) को। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि बासगीत पर्चा निर्गत होने से न तो पूर्व भूस्वामी बैजनाय भगत को आपत्ति यी और ज ही हाल सर्वे खतियान के अनुसार फुवो झा को। यदि आपत्ति रहती तो तत्क्षण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर रद्द कराने का प्रयास करते, जो नहीं किया गया है। इसलिए वादी का यह कहा जाना कि वास्तविक भूरवाभी को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है, तय्य रो परे है, जिसे अमान्य करार दिया जाच। विपक्षी एवं परिवार के अन्य सदस्य पूर्व भूखामी की रजामंदी से प्रश्नगत भूमि पर आवासित हुए थे। प्रश्नय प्राप्त रैयत रहने, भूमिहीन रहने एवं प्रश्नगत जमीन पर मकानमय सहन होकर आवासीत रहने के कारण पूर्ण सतुष्टि के उपरान्त विधिवत बासगीत पर्चा िर्गत किया गया था, जो विल्कूल ही बैद्य है। अभी भी विपक्षी के नाम से जमाबंदी नं0-68 कायम है तथा 2012 तक लगान रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी, पुरैनी द्वारा दाखिल-खरीज वादी के पक्ष में नहीं किए जाने के कारण भूि स्थार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0-09/08-09 वादी द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 26.02.2010 को आदेश पारित किया गया है कि ''जबतक बासगीत पर्चा प्रभावी है, आक्षेपित आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।" उक्त आदेश से स्पष्ट है कि विपक्षी को प्रश्नगत जमीन पर दखल-कब्जा है। उपरोक्त विवेचना पर सम्यक विचार करते हुए नियमानुसार निर्गत बासगीत पर्चा को यथावत रखा जाय तथा रिभीजन आवेदन को अस्वीकृत किया जाय। उक्त तथ्य के समर्थन में निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किये गये :-

- (1) दाखिल लिखित अभिकथन।
- (2) निर्गत लगान रसीद वर्ष 2011-12 की छायाप्रति।
- (३) खतियान की सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
- (4) अंचल अधिकारी, पुरेनी के पत्रांक 50-2 दिनांक 31.01.0 से समर्पित जींच प्रतिवेदन की छायाप्रति।
 - (5) निर्गत बासगीत पर्वा की खयाप्रति।
- (6) न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के दारि ल-खारीज वाद सं०-०९/०८-०९ में दिनांक २६.०२.२०१० को पारित आदेश की छायाप्रति।

उभय पक्षों की दलील युनने, निम्न न्यायालय से बासगीत पर्वा अभिलेख के रागर्थन में वितरण पंजी का सत्यापित प्रति एवं न्यायालय में दाखिल साक्ष्य का गहन समीक्षा की गई। निम्न न्यायालय से मूल बासगीत पर्चा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने एवं उसके बदले में पंजी की me purpur 5

19)

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा। बासगीत पर्चा रिभिजन वाद सं० — 38/2006 राजेश कुमार भगत बनाम् योगेन्द्र मंडल —:आदेश:—

17.10.2014

28.11.2014 श्री राजेश कुमार भगत, पे० जनार्दन भगत, सा० पुरैनी (देवीदास टोला) थाना + अंचल पुरैनी, जिला मधेपुरा ने बी.पी.पी. एच.टी.एक्ट — 19047 की धारा — 21 के तहत् रिभीजन वाद दाखिल किया गया है। अपने याचिका में विवादित जमीन का ब्यौरा निम्न प्रकार अंकित किया है:—

मौजा .	थाना नंo	खाता पo	खाता नया	खेसरा पo	खेसरा नया	रकवा
पुरैनी	_	417	562	1110	1869	04 ভী০

वादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनकर दिनांक 29.03.23007 को वाद अंगीकृत करते हुए डी०बी० नं० 654 दिनांक 15.06.2007 के द्वारा विपक्षी को नोटिस तथा 655 दिनांक 15.06.2007 के द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं० - 03 / 1971-72 से संबंधित अभिलेख एवं स्थलीय जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, पूरैनी से किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। अभिलेख एवं स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 03.03.2008 को सुनवाई उपरान्त अंचल अधिकारी, पुरैनी को स्वयं अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में उपस्थित रहने का निदेश जारी किया गया। दिनांकक 16.08.2010 को उभय पक्षों की दलील सुनने के पश्चात लिखित अभिकथन दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अंचल अधिकारी, पुरैनी ने अपने पत्रांक 549-2 दिनांक 16.08.2010 के द्वारा अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण निर्गत बागगीत पूर्चा पंजी की छायाप्रति सत्यापित कर समर्पित किया गया। दिनांक 14.05.2011, 13.06. 2011 एवं 20.06.2011 को वादी स्वयं अनुपस्थित रहे, फलस्वरूप अनुपस्थिति के कारण वाद स्थिगित कर दिया गया। पुनः वादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा स्थिगित वाद चालू करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिस पर दिनांक 25.07.2011 को सुनकर वाद पुनर्जीवित करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत किया। उभय पक्षों के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल कर दिया गया है। दिनांक 17.10.2014 को दोनों पक्षों के बहस को विस्तार से सुनकर अभिलेख आदेश पर रखा गया।

वादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादगत भूमि के साथ अन्य भूमि पर वादी के पूर्वज पूर्व भूस्वामी फुचो झा की अनुमित से उसके जमीन पर रहते आ रहे हैं। वे कभी भी एक क्षण के लिए बेदखल नहीं किए है। परिवार बड़ा होने के कारण वादगत भूमि सहित अन्य भूमि पर सभी भाईयों में बंटवारा कर आवासीय मकान एवं बाड़ी झाड़ी कायम कर रहे हैं। हाल सर्वे खतियान में भुस्वामी का नाम फूचो झा एवं अन्य है तथा उक्त भूस्वामी के वारिस जवाहर झा से विधिवत निबंधित दस्तावेज सं० - 5329 दिनांक 25.08.2006 के द्वारा खाता पुराना - 417 खाता नया — 562 खेसरा पुराना — 1110, 1113 खेसरा नया — 1869 रकवा — 04 डी० वासोवास की भूमि खरीद की गई हैं। दाखिल - खारिज कराने के दौरान बासगीत पर्चा अभिलेख का नकल के लिए आवेदन किया गया। परन्तु अभिलेख का नकल अंचल कार्यालय से उपलब्ध नहीं हो सका। उसके बदले में वर्ष 1971 - 72 में जारी किए गए बासगीत पर्चा, जिसमें 40 - 45 व्यक्तियों का पर्चा स्वीकृत किया गया है, का नकल प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर यह रिभीजन आवेदन दाखिल किया गया है। इनका आगे कहना है कि खेसरा पुराना – 1113 का रकवा – 04 डी० नहीं है। बल्कि खेसरा पुराना 1110, 1113 का कुल रकवा – 04 डी० है। स्पष्ट है कि निर्गत वासगीत पर्चा राजस्व अभिलेख पर आधारित नहीं है। भूस्वामी को कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया है एवं प्रतिपक्षी जाल - फरेबी कर अपने नाम से पर्चा निर्गत करवा लिये हैं। पर्चाधारी को अपना आवासीय घर है और वादगत भूमि प्रतिपक्षी को बासगीत पर्चा निर्गत करने का कोई आधार

या औचित्य नहीं है। वादगत भूमि के चारों तरफ वादी की जमीन है। उक्त भूमि की कोई जाँच किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई, बिना जाँच पड़ताल किए ही बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जिसमें बी.पी.पी.एच.टी.एक्ट की धारा – 5 की उपधारा 1 से 5 तक अनुपालन नहीं किया गया है। इस तरह निर्गत बासगीत पर्चा छद्म, जाल – फरैबी तरीके से निर्गत किया गया है, जिसे रह किया जाय। वादी अपने दिए गए बयान के समर्थन में निम्नाकित कागजात साक्ष्य हेतु समर्पित किया है –

(1) इनफोरमेशन स्लीप सं० - 11 दिनांक 11.10.2006 की छायाप्रति।

(2) 92-163 / 1971-72 बासगीत रिजस्टर के सत्यापित प्रति की छायाप्रति।

(3) पुरैनी थाना कांड सं० — 53 / 06 योगेन्द्र मंडल बनाम राजेश भगत में पारित आदेश की प्रति।

(4) हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति।

- (5) नापी वाद सं० 20 / 07 08 प्रतिवेदन की छायाप्रति।
- (6) इन्फोरमेशन स्लीप अंचल कार्यालय से निर्गत योगेन्द्र मंडल को धारित जमीन की सूचना की छायाप्रति।
- (7) निर्गत बासगीत पर्चा फारम जी की छायाप्रति।
- (8) दस्तावेज सं० 5329 दिनांक 25.08.2006 की छायाप्रति।

(9) दाखिल लिखित अभिकथन।

इसके प्रत्योत्तर में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादी के द्वारा बी.पी.पी.एच. टी.एक्ट 1947 की धारा - 21 के अन्तर्गत लाया गया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि निर्गत बासगीत पर्चा में क्या खामियां हैं। चूँकि उक्त बासगीत पर्चा 1972 में निर्गत किया गया एवं रिभीजन वाद वर्ष 2006 अर्थात् 33 वर्षों के बाद लिया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा विवादित भूमि निबंधित दस्तावेज सं० 5329 दिनांक 25.08.2006 को जवाहर झा से क्रय किया है, जो फ़ुचो झा के वारिसान है। जबिक वासगीत पर्चा जिस जमीन का निर्गत किया गया है, उसका मूल भूस्वामी बैजनाथ भगत है। तत्काल यह भी मान लिया जाय कि हाल सर्वे खितयान के अनुसार भूस्वामी फुचो झा हैं, तो उक्त बासगीत पर्चा को रद्द कराने हेतू फुचो झा को आपत्ति करना चाहिए था, न कि खरीददार (वादी) को। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि बासगीत पर्चा निर्गत होने से न तो पूर्व भूस्वामी बैजनाथ भगत को आपत्ति थी और न ही हाल सर्वे खतियान के अनुसार फूचो झा को। यदि आपत्ति रहती तो तत्क्षण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर रह कराने का प्रयास करते, जो नहीं किया गया है। इसलिए वादी का यह कहा जाना कि वास्तवित भूस्वामी को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है, तथ्य से परे हैं, जिसे अमान्य करार दिया जाय। विपक्षी एवं परिवार के अन्य सदस्य पूर्व भूस्वामी की रजामंदी से प्रश्नगत भूमि पर आवासित हुए थे। प्रश्रय प्राप्त रैयत रहने, भूमिहीन रहने एवं प्रश्नगत जमीन पर मकानमय सहन होकर आवासीत रहने के कारण पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त विधिवत बासगीत पर्चा निर्गत किया गया था, जो बिल्कुल ही बैद्य है। अभी भी विपक्षी के नाम से जमाबदी नं० - 68 कायम है तथा 2012 तक लगान रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी, पुरैनी द्वारा दाखिल - खारिज वादी के पक्ष में नहीं किए जाने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं० -09/08 - 09 वादी द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 26.02.2010 को आदेश पारित किया गया है कि " जबतक बासगीत पर्चा प्रभावी है, आक्षेपित आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। " उक्त आदेश से स्पष्ट है कि विपक्षी को प्रश्नगत जमीन पर दखल -कब्जा है। उपरोक्त विवेचना को अस्वीकृत किया जाय। उक्त तथ्य के समर्थन में निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किये गये :-

(1) दाखिल लिखित अभिकथन।

- (2) निर्गत लगान रसीद वर्ष 2011 12 की छायाप्रति।
- (3) खतियान की सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
- (4) अंचल अधिकारी, पुरैनी के पत्रांक 50–2, दिनांक 31.01.06 से समर्पित जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति।

सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गई है, के अयलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी के कमांक 03 पर वादी का नाम अंकित है तथा दिनांक 21.05.1971 को बासगीत पर्या अंचल अधिकारी, चौसा द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त अवधि में अंचल पुरैनी का सृजन नहीं हुआ था। बासगीत पर्चा अवलोकन से से स्पष्ट है कि बासगीत पर्चा में खेसरा 417, खेरारा 1113, रकवा-04 डी०, भूस्यामी बैजनाथ भगत एवं भूमि का प्रकार- बासडीह अंकित है तथा पर्याधारी को प्रश्रय प्राप्त रैयत धोषित किया गया है। विपक्षी द्वारा विवादित भूमि का भूस्वामी पुचो झा बताया जा रहा है, जबकि बासगीत पर्चा में भूस्वामी वैजनाथ भगत अंकित है। इससे स्पष्ट है कि भूस्वामी पुचो झा अथवा वर्तमान केता(वादी) को नोटिस निर्गत करने का प्रश्न नहीं उदता है। इसलिए वादी का यह आपाँत कतई स्वीकार योग्य नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि निर्गत वासगीत पर्चा पर बासगीत पर्चा के नास्तविक भूखामी बैजनाथ भगत या हाल सर्वे खितयान में भूस्वामी के रूप में दर्ज नाम पुणै झा एवं अन्य दोनों अथवा उनके वारिसान में से कोई नहीं आपित उठाई थी ओर न हो उठाई है। यदि बासगीत पर्चा निर्गत किए जाने से विश्व का रहते तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई रहती। इस एवज में भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति वादी द्वारा वर्ष 2006 में जमीन खरीदगी के उपरान्त विवादित जमीन का रैयत स्थापित करना चाहते हैं, जो किसी भी रूप से स्थीफार योग्य नहीं है।

इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Bachha Sah Vs. Manohar Thakur 2006(4) PLJR 102 में निम्न आदेश उद्युत किया गया है :- The issuance of basgit purcha was challenged after 20 Years by the purchasers of the original land holder on the ground that they were not noticed. It is only the original land holder who is entitled to the notice under the act. A subsequent purchaser, much after the settlement had no right to issue any notice.

अंचेल अधिकारी, पुरेनी के पत्रांक 50-2 दिनांक 31.01.2007 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि उक्त विवादित भूमि पर पर्चाधारी का दखल-कब्जा है, जिसका रकवा 04 डी० है एवं लगान रसीद भी निर्गत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आघार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि निर्गत बासगीत पर्चा में किसी एकार की हुटि नहीं है एवं विधिवत निर्गत किया गया है। दूसरी तरफ वादी का तर्क तथ्यहीन एवं प्रावधान अनुरूप नहीं है। इसलिए रिभीजनकर्ता के रिभीजन आवेदन को खारिज किया जाता है। इस निर्देश के साथ अभिलेख में आगे की कार्रवाई बंद की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्षा/ अंचल आंधेकारी, पुरैनी/ चौसा के भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

(0) 22(11) प् स मा ह र्ता, मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धकृत, समाहर्ता, मधेपुरा।

क्रि0 बी० बे०-538 विभि,मधेपुरा,विनांक 01 // 1/2014 प्रतिक्षिपः उभय पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेवित। अतिक्षिपः अंचल अधिकारी, पुरेमी/ चौरा को सूचभार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेवित। प्रतिक्षिपः जिला सूचना विक्रान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेवित।

Garriad (11)

प्रभारी पदाधिकारी) विधि, सधेपुरा।

pic.

(5) निर्गत बासगीत पर्चा की छायाप्रति।

(6) न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदािकशुनगंज के दाखिल — खारिज वाद संo — 09/08 — 09 में दिनांक 26.02.2010 को पारित आदेश की छायाप्रति।

उभय पक्षों की दलील सुनने, निम्न न्यायालय से बासगीत पर्चा अभिलेख के समर्थन में वितरण पंजी का सत्यापित प्रति एवं न्यायालय मे दाखिल साक्ष्य का गहन समीक्षा की गई। निम्न न्यायालय से मूल बासगीत पर्चा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने एवं उसके बदले में पंजी की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गई है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी के क्रमांक 03 पर वादी का नाम अंकित है तथा दिनांक 21.05.1971 को बासगीत पर्चा अंचल अधिकारी, चौसा द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त अवधि में पूरैनी का सुजन नहीं हुआ था। बासगीत पर्चा अवलोकन से स्पष्ट है कि बास नीत पर्चा में खेसरा 417, खेसरा 1113, रकवा - 04 डी०, भूरवामी बैजनाथ भगत एवं भूमि का प्रकार – बासडीह अंकित है तथा पर्चाधारी को प्रश्रय प्राप्त रैयत घोषित किया गया है। विपक्षी द्वारा विवादित भूमि का भूस्वामी फूचो झा बताया जा रहा है, जबकि बासगीत पर्चा में भूस्वामी बैजनाथ भगत अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि भूस्वामी फुचो झा अथवा वर्तमान क्रेता (वादी) को नोटिस निर्गत करने का प्रश्न नहीं उठता हैं इसिलिए वादी का यह आपत्ति कतई स्वीकार योग्य नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि निर्गत बासगीत पर्चा पर बासगीत पर्चा के वास्तविक भूस्वामी बैजनाथ भगत या हाल सर्वे खतियान में भूस्वामी के रूप में दर्ज नाम फूचो झा एवं अन्य दोनों अथवा उनके वारिसान में से कोई नहीं आपत्ति उठाई थी और न ही उठाई हैं। यदि बासगीत पर्चा निर्गत किए जाने से विक्षुब्ध रहते तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई रहती। इस एवज में भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति वादी द्वारा दाखिल नहीं की गई है, जिससे यह मान लिया जाय क पूर्व भूस्वामी चुनौती दी थी। बल्कि वादी द्वारा वर्ष 2006 में जमीन खरीदगी के उपरान्त विवादित जमीन का रैयत स्थापित करना चाहते हैं, जो किसी भी रूप से स्वीकार योग्य नहीं है।

इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Bachha Sah Vs. Manohar Thakur 2006 (4) PLJR 102 में निम्न आदेश उद्दूत किया गया है :- The issuance of basgit purcha was challenged after 20 years by the purchasers of the original land holder on the ground that they were not noticed. It is only the original land holder who is entitled to the notice under the act. A subsequent purchaser, much after the settlement had nor ight to issue any notice.

अंचल अधिकारी, पुरैनी के पत्रांक 50—2 दिनांक 31.01.2007 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि उक्त विवादित भूमि पर पर्चाधारी का दखल — कब्जा है, जिसका रकवा 04 डीo है एवं लगान रसीद भी निर्गत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि निर्गत बासगीत पर्चा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं विधिवत निर्गत किया गया हैं दूसरी तरफ वादी का तर्क तथ्यहीन एवं प्रावधान अनुरूप नहीं है। इसलिए रिभीजनकर्त्ता के रिभीजन आवेदन का खारिज किया जता है। इस निदेश के साथ अभिलेख में आगे की कार्रवाई बंद की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष / अंचल अधिकारी, पुरैनी / चौसा को भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के बेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें। लेखापित एवं शुद्धिकृत,

ह०/अस्पष्ट 28.11.14

२०.। . १४ समाहर्त्ता, मधेपुरा। ह० / अस्पष्ट 28.11.14 समाहर्त्ता, मधेपुरा।

THE RESERVE

Elen Comment

, किन्द्री-वाम सम्मू निक्रियम्बाम्स्य होते

अंदिक कि महस् मिली मिली कार्य निकार कि कार्य के मान

AF 9V67-62

26/70/60 29-4-69 90 98 98 96 94, 28 R24, 36 83 C

Amaniac. 6-

स्विमित क्षिक श्री के अप पड़ित है प्रस्क कर है ने हैं है

का मंग किया में माने के भारत के प्राप्त के कारण ने जिल्हर में अने के

5/11/26	Rift is fix order in artis of application for the corps.	
15-111/06	स्याप और फेलियों की अपेक्सि संदर्भ सुन्ति करने के मिलिस स्पीत Date Base for conflying the requisite results of stamps and totas.	LINEWIA P. C. H
15/11/06	वर्षित स्टान और चेतियों मेरे के श्रीक Date of dailyery of the regulate planes and tologs.	
90111/91	ntim, and the By highly dur, of Date on which he copy was ready for defrent,	HIVERUNICS
5	श्रीक्ष से प्रतिक्षि देते के अर्थित Date of making ever the copy is the applicant.	
	in a second	1

खारिकानु के विकासितेवा , अमुन्भज्ञ अवाको का नाम न विद्यास मध्य पड्डामा हे ई-ब्रेश LK BIKK १८६५ अह बाम्रीयन 1-11-06 षाता न १ रः पंचाकाल (A) ت ا ا ا NORS KHATIAN (a) (a) . 0962 學等 佛金記 三五百 16-121 VAIL THE 海 安 The state of the s (SC) रिवास अर्थे क्या कार्य 910 1 A 10 14 कुर्दामा हुआ (Upor decen 11-11-06 अजर् को ई हो 9 (a) ma. 7 84 PARSE प्रतिष्, असी क्षेत्र के प्रतिष्ठ के स् Data on which the copy was ready for delivery. क्रिकेन केर दार्थक्सम र्राप्त-इ क्रित्रदेश कर्यान्ना आरामते अरामते क्रिक्त कर्मा हो (3) Cally Size with off- 6/2 1 SEC 282 TOWN TO अनेता के मिलित देन क

मौजा पुरेनी, महाल परगना पट्टी छेई तौजी नं० थाना किशुनगंज थाना नं० 164

कैंफियत

0.0162

सिलसिलेवार नम्बर खतियानी के 562 नोखेलाल झा एक अंश जाति मैथिल ब्राह्मण निवासी मुरादपुर फुचो झा, पिता चुल्हाई झा, एक अंस श्यामसुन्दर झा, पिता जागेश्वर झा, पिता मधुरा झा एक अंश, सरयुग झा, पिता पर्वता, जिला मुंगेर हाल निवासी निज ग्राम पत्रालय उचित लाल झा, एक अश असामी का नाम वित्दयत पत्रालय नया गांव, थाना सबुनत और जात गणेशपुर खेत खेसरा <u> 14</u> उ० काशी मंडल द० पंचलाल चीहदी #i 라 라 भू भू क्री रकवा ए∕डी 0.04

ह०/अस्पष्ट 11.11.06